हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

द्वितीय सत्र

वीरवार, 5 अप्रैल, 2018/15 चैत्र, 1940(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) तारांकित:

(i) स्थगित (ii) दिन के लिए	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित:

दिन के लिए	पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

सचिव, विधान सभा, निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

1. हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 1); और

2. हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 2) ।

3. कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-II) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(ii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (विनियोग लेखे) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(iii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (राज्य के वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(iv) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(v) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (राजस्व क्षेत्र) हिमाचल प्रदेश सरकार; और

(vi) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

(2) **श्री अनिल शर्मा, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17;

(ii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व और उसके अनुपालन) (तीसरा संशोधन) विनियमन, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/438 दिनांक 24.03.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.03.2017 को प्रकाशित;

(iii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों से जनरेशन को बढ़ावा देना और टैरिफ निर्धारण के लिए नियमों और शर्तों) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/428 दिनांक 31.03.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.04.2017 को प्रकाशित;

(iv) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत लोकपाल के नियम एवं शर्तें) आदेश 2014 और हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (लोकपाल शिकायत निवारण फोरम ओम्बड्समैन) विनियम, 2013 के विनियमन 30 के उप-विनियमन(4)A जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/Secy/609/B/SK/RM2017-142-146 दिनांक 18.04.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.06.2017 को प्रकाशित;

(v) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व और उसके अनुपालन) विनियम, 2010 के तहत वित्त वर्ष 2017-18 में वित्त वर्ष 2016-17 में आरपीओ के संबंध में अधिशेष/कमी के अनुकूलन/अक्षय ऊर्जा के समायोजन के लिए अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/438 दिनांक 17.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.07.2017 को प्रकाशित;

(vi) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 26 के तहत एक अनुशासनकारी कार्यालय के रूप में सदस्य हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की नियुक्ति के लिए अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/52 का 2001 दिनांक 27.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.11.2017 को प्रकाशित;

(vii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा स्रोतों से जनरेशन को बढ़ावा देना और टैरिफ निर्धारण के लिए नियमों और शर्तों) विनियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/428 दिनांक 16.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.11.2017 को प्रकाशित;

(viii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व और उसके अनुपालन) (चौथे संशोधन) विनियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/438 दिनांक 06.12.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.12.2017 को प्रकाशित;

(ix) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2004 के अन्तर्गत राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) के पुन: गठन के संबंध में अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/B(32)-1/2018 दिनांक 11.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.01.2018 को प्रकाशित; और

(x) हिमाचल प्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, 2008 के तहत ग्रिड कोड समीक्षा समिति के गठन के लिए अधिसूचना संख्या:एचपीईआरसी/H(1)-10/2014-2600-2604 दिनांक 16.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.02.2018 को प्रकाशित ।

((ii) से (x) तक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम हैं)

(3) श्री विपिन सिंह परमार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, रेडियोग्राफर, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:स्वास्थ्य-ए-बी(2)-46/2015 दिनांक 15.11.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.11.2017 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य शिक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:स्वास्थ्य-ए-ए(3)-1/99 दिनांक 21.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.08.2017 को प्रकाशित;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, फार्मासिस्ट, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:स्वास्थ्य-ए-ए(3)-13/2010 दिनांक 16.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.12.2017 को प्रकाशित;

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन विभाग, लोक विश्लेषक एवं रसायन परीक्षक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:स्वास्थ्य-ए-ए(3)-12/2015 दिनांक 06.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.11.2017 को प्रकाशित; और

(v) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:स्वास्थ्य-ए0-ए0(3)-5/2015 दिनांक 14.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.12.2017 को प्रकाशित ।

(i)

4. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में

हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 7)	बहुमत प्राप्त दल के मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक के वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाओं का उपबन्ध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए। वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(ii) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम,

हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 8)	2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए। वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(iii) श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य में सहबद्धता,

सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 6)	अध्यापन और उच्चतर शिक्षा पद्धति में उचित और व्यवस्थित शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए "सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश" नामक क्लस्टर विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए। वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

5. <u>गैर-सरकारी सदस्य कार्य</u> :

"संकल्प"

(गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची संलग्न है)

शिमला-171 004 सुन्दर सिंह वर्मा,
दिनांक: 4 अप्रैल, 2018 सचिव ।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)
(विधेयक पर स्वीकृत संशोधन भी प्रस्तुत किए जाएंगे)

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

'संकल्प'

द्वितीय सत्र

वीरवार, दिनांक 5 अप्रैल, 2018 को चर्चा हेतु लिए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची:

क्र0सं0	सदस्य का नाम	उद्धरण
1.	श्री सुख राम श्री इन्द्र सिंह श्री बिक्रम सिंह जरयाल	यह सदन सरकार से मांग करता है कि प्राथमिक शिक्षा में स्कूलों की बढती संख्या के उपरान्त लगातार विद्यार्थियों की घटती संख्या एवं गिरते स्तर पर नीति बनायें ।
2.	श्री राकेश पठानिया	This House may discuss the illegal mining in the State and recommends to the Govt. to form a policy.
3.	श्री राकेश सिंघा	यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में नई सौर उर्जा नीति बनाई जाए ।
4.	श्री हर्षवर्धन चौहान	यह सदन केंद्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि जिला सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र की शिलाई, संगडाह, कमरऊ व राजगढ तहसीलों तथा आजबोझ क्षेत्र की नघेता, अम्बोआ, डाण्डा-पागर, शिवा, बनौर, डाण्डा, काला अम्ब तथा भडाना पंचायतों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 342(1)(2) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाए ।
		पिछले सत्र में प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा होगी :-
	श्री अनिरूद्व सिंह	यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में बन्दरों द्वारा किसानों/ बागवानों की फसलों को पहुचाए गए नुकसान बारे कोई ठोस नीति बनाई जाए।

सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

* * * *

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

द्वितीय सत्र

हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 7) जोकि दिनांक 05 अप्रैल, 2018 हेतु विचार-विमर्श एवं पारण के लिए निर्धारित है पर स्वीकृत संशोधनों की सूची:-

क्र0	सदस्य का नाम	पृष्ठ	खण्ड	उप-खण्ड	पंक्तियां	प्रस्तावित संशोधन
1.		2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु	1 व 2	2	(ख) व (ग)	14 व 4	शब्दों जिसे के उपरान्त "बहुमत" शब्दों का विलोप किया जाए ।
2.	श्री हर्षवर्धन चौहान	2	2	(ख) व (ग)	2 व 7	शब्दों इस रूप में के उपरान्त **"प्रमुख विपक्षी दल"** शब्दों को जोड़ा जाए ।
Sr. No.	**Name of Member**	**Page**	**Claus e**	**Sub-clause**	**Lines**	**Proposed Amendment**
1.		2.	3.	4.	5.	6.
1.	**Shri Sukhvinder Singh Sukhu**	1 & 2	2	(b) & (c)	17 & 5	after the words by the "majority" shall be deleted.
2.	**Shri Harshwardhan Chauhan**	2	2	(b) & (c)	1 & 7	after the words Government and **"principal opposition party"** shall be inserted.

शिमला-171004
दिनांक: 04 अप्रैल, 2018

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।

****.